न्यायालय वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ, हल्द्वानी।

उपस्थितः मलिक मजहर सुलतान, एच0जे0एस0,.....अध्यक्ष।

राकेश वर्मा, ...सदस्य।

द्वितीय अपील संख्याः 68/2025(वर्ष 1997–98) धारा 21 सपठित धारा 30 के अन्तर्गत

सर्वश्री द्वाराहाट ग्राम स्वराज मण्डल, रानीबाग, हल्द्वानी।

बनाम

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

व्यापारी की ओर से : श्री जोगेन्द्र सिंह एडवोकेट..... अधिवक्ता।

विभाग की ओर से : श्रीमती हेमलता शुक्ला, ...राज्य प्रतिनिधि।

–::निर्णय::–

राकेश वर्मा, सदस्य

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 10 के अन्तर्गत, आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी द्वारा प्रथम अपील संख्या– 520/10 (वर्ष 1997–98 व्यापार कर अधिनियम की धारा 21 सपठित धारा 30) में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13–06–2025 के विरूद्ध इस अधिकरण में दिनांक 08–07–2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील अस्वीकार की गयी है। प्रस्तुत द्वितीय अपील में विवादित कर की धनराशि रू0 3,22,319.75/– निहित है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सर्वश्री द्वाराहाट ग्राम स्वराज मण्डल, रानीबाग, हल्द्वानी (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा), का व्यापार स्वनिर्मित बिरोजा व तारपीन तेल आदि का निर्माण कर बिक्री का है। व्यापार कर अधिनियम की धारा–21 सपठित धारा–30 के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2010 को पारित करनिर्धारण आदेश के सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैः– *" व्यापारी द्वारा दाखिल विवरण की जॉच पर यह भी पाया गया कि दिनांक 18–1–98 को रू. 504680.00 रोजिन की अंतिम बिक्री स्वीकार करते हुए अंतिम स्टाक रोजिन तथा तारपीन तेल क्रमशः रू0 100650.00 व रू0 4500.00 घोषित किया है। जबकि दिनांक 23–1–98 को रू0 390000.00 रोजिन की खरीद मै0 यू0पी0पेन्ट्स एण्ड वार्निश रूद्रपुर से उनके बिल सं0–1 दिनांक 23–1–98 से स्वीकार की है किन्तु इस क्रय माल को स्टॉक में नहीं दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त माल दिनांक 01–01–98 को चालान द्वारा आया था। किन्तु व्यापारी द्वारा ऐसा कोई चालान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यापारी*

(मै0 यू0पी0 पेन्ट्स एण्ड वार्निश रूद्रपुर) द्वारा कर निर्धारण के समय अपने एस0टी0 82 (छायाप्रति पत्रावली में उपलब्ध) में स्पष्टतः यह घोषणा की है कि उनके द्वारा प्रश्नगत व्यापारी (मै0 द्वाराहाट ग्रम स्वराज मण्डल, रानीबाग) को रू0 920935.00 का बिरोजा विक्रय किया है। किन्तु क्रेता व्यापारी मै0 द्वाराहाट ग्रम स्वराज मण्डल, रानीबाग द्वारा अपनी खरीद सूची में केवल दिनांक 23–01–98 को रू0 39000.00 की ही खरीद किया जाना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार रू0 530935.00 की खरीद का स्पष्टतः अपवंचन किया जाना उपरोक्त तथ्य से प्रमाणित है। तद्नुसार खरीद के सम्बन्ध में दिये गये आकड़े भी विश्वसनीय नही पाये गये। उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा स्वंय निर्मित रोजिन रू0 3565930.00 तथा तारपीन तेल रू0 286250.00 की घोषित बिक्री के निर्माण हेतु प्रयुक्त किये गये कच्चे माल, लीसा की वास्तविक खरीद घोषित न करके , कर दायित्व से बचने का प्रयास किया गया है। उक्त विक्रय किये गये रोजिन की राशि को देखते हुए तत्कालीन प्रचलित दर से रोजिन की मात्रा लगभग 820 कुन्टल होती है। 75 प्रतिशत रिकवरी का आधार मानते हुए उक्त विक्रय/निर्मित किये गये रोजिन हेतु प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल/लीसे की मात्रा लगभग 1100 कुन्टल होती है। लीसे की तत्कालीन क्रय मूल्य के अनुसार इसका क्रय मूल्य रू0 300000.00 होता है। लीसे की तत्कालीन क्रय मूल्य के अनुसार इसका क्रय मूल्य रू0 3000000.00 होता है। इसके अतिरिक्त रू0 226904.00 के हार्डिन रोजिन की खरीद भी व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई है जिसपर टैक्स पेड के अभाव में भी क्रय कर का दायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार कुल रू0 3226904.00 की कच्चे माल की खरीद पर नियमानुसार व्यापारी की कर देयता आकृषित होती है। "

उक्त विवेचना के आधार पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा रू. 3226904.00की लीसा/हार्डिन रोजिन की खरीद निर्धारित करते हुए 10प्रतिशत की दर से कुल रू. 322690.00 कर आरोपित करते हुए आदेश पारित किया गया है।

3. उक्त आदेश दिनांक 10–05–2010 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यौहारी की ओर से दाखिल अपीली को स्वीकार करते हुए केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी को विवादित बिन्दु के सम्बन्ध में कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया है, वाद को पुनः सुनवाई हेतु करनिर्धारण अधिकारी को दिनांक 13.06.2025 को प्रतिप्रेषित किया गया है।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संदर्भित निर्णय से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि

1- That the order passed by Ld. Joint Commissioner (Appea) and Assisstant Commissioner, State Tax Nainital is illegal wrong & non maintainable either upon the consideration of facts or of law.

2- That the order of the 1st Appellate Authority remanding the case to the Assessing Authority is wrong, illegal bad in law& not maintainable on the consideration of facts & law.

3- That while remanding the case to the Assessing Authority all the relevant facts/material were available on record in detail. The Ld. Joint Commissioner (Appeal) could easily dispose off the appeal on merits instead of remanding the case to the Assessing Authority is bad in law & liable to be quased.

ह0/दि0– 18/02/2026
(राकेश वर्मा)

ह0/दि0– 18/02/2026
(मलिक मजहर सुलतान)

4- That the perusal of the order of Joint Commissioner (Appeal) reveals that he has simply remanded the matter afresh without deciding the matter on merits. The remand order is liable to be struck down in view of the decision of the Hon'ble High Court Allahabad in case of Phills Heavy Engineering Lt Vs Commissioner Trade Tax U.P (2007) 5 VJL 259, 2007(41) STJ 470 decided on 30-10-2006. The appellant is being aggrieved by the order if 1st Appellate Authority as the case has been remanded without deciding the case on merits.

5- That the order of the Appellate Authority remanding the case to the Assessing Authority is wrong in view of the decision of Hon'ble H.C in the case of Sarang Electronics Pvt. Ltd Vs C.T.T 1998 NTN 155.

6- That the order passed by the Assessing Authority instead of deciding the case on merits by the Joint Commissioner (Appeal) remanding the case is wrong, illegal & Contrary to the facts on record on the following reasons;

(a) Order has been passed u/s 21 but no notice u/s 21 has been issued by the Assessing Authority. The notice finally issued by the Assessing Authority dated 05-03-2010 & 16-04-2010 pertain to section 30. As such, the Assessing Authority had no jurisdiction to pass order u/s 21.

(b) The Assessing Authority had no jurisdiction to pass order under section 21 because he has not been authorized by the higher Authorities by any order to pass order u/s 21 Thus, the order has been passed beyond his jurisdiction as the jurisdiction lies with the Assessing Authority of the Haldwani whereas said the order has been passed by the Assessing Authority Nainital.

(c) That an application for inspection of the file was filed by the appellant on 10-05-2024 and on inspection following entries were found in the order sheet which pertains to the entries made by the Assessing Authority which are detailed below:

03/02/2010	धारा 30 का पुनः नोटिस जारी	ह0स0
23/02/2010	धारा की सुनवाई हेतु जोगेन्द्र सिंह उपस्थित दि0 11/04/2010की निश्चित	ह0स0
05/03/2010	धारा 30 नोटिस जारी	ह0स0
16/04/2010	धारा 30 के के वाद सुनवाई जोगेन्द्र सिंह उपस्थित सुनवाई पूरी की गई	ह0स0
01/05/2010	आदेश धारा 30 के अन्तर्गत पारित विक्रय धन 3226904/– पर रू0 322690/– कर आरोपित 1500/– जमा और 321990/– की मांग निकाली गई	ह0स0

7- That from the perusal of above entries it is crystal clear that all notices issued by the Assessing Authority pertain to section 30. As such the order has been wrongly passed u/s 21 read with section 30, which is wrong illegal in the light of above mentioned entries facts and material on record. Moreover the proceeding u/s 21 are time barred.

8- That an information was sought for under RTI Act by the appellant regarding jurisdiction of the Assessing Authority and taking action u/s 21 on 20/06/2024. It was informed by the RTI officer of sector 2 Haldwani vide letter dated 08/07/2024 that no such information is available as per record (evidence enclosed)

9- An appeal was filed by the appellant against the order of RTI officer before Joint Commissioner Executive RTI on 13/08/2024 (evidence enclosed).

10- That an Appellate Authority vide her order passed u/s 19(1) of RTI Act 2005, informed the appellant and directed the RTI Officer Sec-2 Haldwani to collect the required information

ह0/दि0– 18/02/2026
(राकेश वर्मा)

ह0/दि0– 18/02/2026
(मलिक मजहर सुलतान)

from the Assisstant Commissioner Nainital and furnish the information to the firm (evidence enclosed).

11- That on being asked about the direction of the Joint Commissioner (E) the Assessing Authority Nainital informed the appellant that no evidence regarding the transfer of the case no authorization for taking action 21 is available on the record (evidence dt 19/10/2024 enclosed). Thus the above evidence go to prove that the order passed by the Assessing officer u/s 21 is bad in law unconstitutional and that too without having jurisdiction to pass the order & Thus. order becomes null & void ab- initio.

12- That a written submission was filed in response the show cause, where in all the facts were mentioned regarding the non taxability of the goods in the hands of the appellant (reply enclosed) but both the Authorities below have totally ignored these facts. Thus the order is not maintainable.

13- That it was explained that the appellant has purchased rosin and T.oil which are taxable on the sale either by the manufacturer or by he importer. The appellant is neither importer nor Manufacturer. Moreover, the selling dealer has been assessed on the same figures. The Assessing Authority has wrongly changed the identity of the goods and has fixed the turnover of resin for which no reasons have been given.

14- That tax cannot be imposed on the purchaser of Rosin, as the same is taxable at the point of sale by manufacturer or by the importer, the appellant is neither the importer or the manufacturer of Rosin. Hence the tax has been wrongly imposed on the purchases of Rosin amounting to Rs 3226904/-. Hence the same is liable to be quased.

15- That the appellant is a recognized dealer u/s 4B of the Act. Though the appellant does not accept any liability on the purchases of Rosin, because Leesa is a controlled commodity and the same cannot be sold in the open market by any dealer or person except by the Forest Department, even then being a recognition certificate dealer, the rate of tax is 2.5 % and not 10 as imposed.

WHEREFORE prayed that the second appeal be accepted and the order u/s 21 be quashed any other relief that the Hon'ble Court may deem proper, be given.

5. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से श्रीमती हेमलता शुक्ला, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए समर्थन किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री जोगेन्द्र सिंह, उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अनुचित बताते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय आधारों के दृष्टिगत् स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रश्नगत वाद में जो बिन्दु विवादित है कि क्या करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर रू. 3226904.00की लीसा/हार्डिन रोजिन की खरीद निर्धारित करते हुए 10प्रतिशत की दर से कुल रू. 322690.00 कर आरोपित करते हुए आदेश पारित किया गया है, वह उचित है अथवा नहीं

ह0/दि0– 18/02/2026
(राकेश वर्मा)

ह0/दि0– 18/02/2026
(मलिक मजहर सुलतान)

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है, वाद को करनिर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जबकि वाद के विवादित बिन्दु से सम्बन्धित समस्त तथ्य उनके सम्मुख उपलब्ध थे।

अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील दाखिल करते हुए विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख अपीलीय आधार में करते हुए प्रबल रूप से कहा है कि प्रश्नगत वाद में विवादित बिन्दु का निर्णय प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था।

अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख दाखिल अपील के आधार में विवादित करनिर्धारण आदेश से सम्बन्धित जो अन्य बिन्दु उद्धृत किये गये हैं, उनका सम्यक परीक्षण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष (Merit) के आधार पर निर्णय पारित जाना चाहिए था।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचित एवं विश्लेषित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा दाखिल यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं वाद को पूर्व प्रस्तरों में उल्लिखित विवादित बिन्दु के सम्बन्ध में सकारण आदेश (Speaking Order) पारित किये जाने हेतु <u>प्रथम अपीलीय अधिकारी को</u> प्रतिप्रेषित किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अपीलार्थी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील संख्या–68/2025 (वर्ष 1997–98)धारा–21 सपठित धारा–30 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए <u>वाद प्रथम अपीलीय अधिकारी को</u> प्रतिप्रेषित किया जाता है।

ह0/दि0– 18/02/2026
(राकेश वर्मा)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

ह0/दि0– 18/02/2026
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांकः– 18 फरवरी, 2026

ह0/दि0– 18/02/2026
(राकेश वर्मा)

ह0/दि0– 18/02/2026
(मलिक मजहर सुलतान)